# कार्यालय–निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई /निःशुल्क प्रवेश–दिशा निर्देश/19678/2020–21 दिनांकः– 29/8/20

समस्त.........
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा

विषयः– आर.टी.ई दिशा–निर्देश 2020–21 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(ग) के अंतर्गत गैर–सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश, भौतिक सत्यापन व विद्यालयों की फीस के पुनर्भरण के लिये शैक्षिक सत्र 2020–21 के लिए जारी दिशा–निर्देश दिनांक 30.06.2020 के कम में प्रवेश टाईम–फ्रेम के अंतर्गत विद्यार्थियों के गैर–सरकारी विद्यालयों में प्रवेश हेतु तिथि को संशोधित कर 10 सितम्बर 2020 की जाती है। आर0टी0ई के अंतर्गत प्रवेश हेतु जिन विद्यार्थियों द्वारा संबंधित विद्यालय में रिपोर्टिंग कर दी गई है किन्तु उसकी प्रविष्टि ऑनलाईन आर.टी.ई पोर्टल पर गैर–सरकारी विद्यालय द्वारा नहीं की गई है, को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 05.09.2020 की जाती है।

शैक्षिक सत्र 2019–20 में जिन विद्यार्थियों का संबंधित गैर–सरकारी विद्यालय द्वारा पीएसपी पोर्टल पर अपडेशन नहीं किया गया है उन्हे अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अपडेशन हेतु दिनांक 10.09.2020 निर्धारित की जाती है।

कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में गैर–सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन संबंधी गतिविधियों को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पंचायतीराज (प्रा.शिक्षा) विभाग
राजस्थान,बीकानेर